

बिहार सरकार

कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ0 बजट-आवंटन-30/2014-267(अविटन) /कृ0, पटना, दिनांक 17-03-2015
प्रेषक,

रामजी सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

मुख्य लेखा पदाधिकारी,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

विषय : CWJC No-8302/2002 एवं समविषयक वाद में पारित न्यायादेश के विरुद्ध विभाग द्वारा दायर LPA एवं SLP खारीज हो जाने के फलस्वरूप CWJC No-3900/1999 एवं अन्य समविषयक वाद में पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु राज्य के राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा समस्तीपुर एवं बिहार, कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर के अधीनस्थ संस्थानों के लिपिक, लिपिक-सह-टंकक/टंकक-सह-लिपिक में से मात्र जो उपर्युक्त वाद में आवेदक है, को विश्वविद्यालय मुख्यालय के सहायकों के समान 01.03.1982, 01.04.1983, 01.01.1986, 01.01.1996, तथा 01.01.2006 से अनुमान्य वेतनमान/वेतन संरचना हेतु निर्गत कृषि विभागीय संकल्प संख्या-758 दिनांक-07.02.2013 के आलोक में राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर के वादियों के बकाये भुगतान के लिए राज्यादेश संख्या-877 दिनांक-12.02.2015 द्वारा स्वीकृत रु० 5,25,56,577 = 00 (पाँच करोड़ पच्चीस लाख छप्पन हजार पाँच सौ सतहत्तर रुपये) के निकासी की स्वीकृति के फलस्वरूप ₹5,25,56,577 (पाँच करोड़ पच्चीस लाख छप्पन हजार पाँच सौ सतहत्तर रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक स्वीकृत्यादेश संख्या-1335 दिनांक-13.03.2015 द्वारा CWJC No-8302/2002 एवं समविषयक वाद में पारित न्यायादेश के विरुद्ध विभाग द्वारा दायर LPA एवं SLP खारीज हो जाने के फलस्वरूप CWJC No-3900/1999 एवं अन्य समविषयक वाद में पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु राज्य के राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा समस्तीपुर एवं बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर के अधीनस्थ संस्थानों के लिपिक, लिपिक-सह-टंकक/टंकक-सह-लिपिक में से मात्र जो उपर्युक्त वाद में आवेदक है, को विश्वविद्यालय मुख्यालय के सहायकों के समान 01.03.1982, 01.04.1983, 01.01.1986, 01.01.1996, तथा 01.01.2006 से अनुमान्य वेतनमान/वेतन संरचना हेतु निर्गत कृषि विभागीय संकल्प संख्या-758 दिनांक-07.02.2013 के आलोक में राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर के वादियों के बकाये भुगतान के लिए राज्यादेश संख्या-877 दिनांक-12.02.2015 द्वारा स्वीकृत रु० 5,25,56,577 = 00 (पाँच करोड़ पच्चीस लाख छप्पन हजार पाँच सौ सतहत्तर रुपये) के निकासी की स्वीकृति हुई है। इस स्वीकृत राशि के अंतर्गत व्यय हेतु कुल ₹5,25,56,577 (पाँच करोड़ पच्चीस लाख छप्पन हजार पाँच सौ सतहत्तर रुपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹5,25,56,577 (पाँच करोड़ पच्चीस लाख छप्पन हजार पाँच सौ सतहत्तर रुपये) मात्र की राशि का व्यय बजट शीर्ष-2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-उप मुख्यशीर्ष-01-फसल कृषि कर्म, लघुशीर्ष-277-शिक्षा-मांग सं०-01-उपशीर्ष-0005-राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर, विपत्र कोड-N2415012770005, के अंतर्गत विषयशीर्ष-31 04-सहायक अनुदान वेतन मद में पुनर्विनियोग से उपबंधित राशि ₹5,25,57,000 (पाँच करोड़ पच्चीस लाख सन्तावन हजार रु०) मात्र से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-6720 वि० (2) दिनांक-25.07.2014 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरत बाद टी० भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन

(रामजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक

267 (भावेन)

/कृ०, पटना, दिनांक 17-03-2015

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(153/17/3/15)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक

267 (भावेन)

/कृ०, पटना, दिनांक 17-03-2015

प्रतिलिपि : कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना/कुलपति बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/ नियंत्रक, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर, बिहार/संयुक्त कृषि निदेशक (योजना) कृषि विभाग, बिहार, पटना/उप कृषि निदेशक, (प्रसार)-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि विभाग/कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/वित्त विभाग, (बजट-शाखा) बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-04 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप कृषि निदेशक, (सूचना), बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

(153/17/3/15)
सरकार के संयुक्त सचिव।

नरेश

मेन